(b) if so, the broad outlines of the scheme?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Commodity Committees

82. **Shri Koya:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to abolish the Commodity Committees like the Arecanut Committee; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). A high level Agricultural Research Review Team has recommended that all research should be brought under the control of a single institution like the Indian Council of Agricultural Research. It is accordingly proposed that research work of the Committees like the Arecanut Committee be transferred to the Indian Council of Agricultural Research. In consequence certain changes are expected to be made in the functions of the Central Spices and Arecanut Committee and other Central Commodity Committees.

राजस्थान में सिंचाई गवेषणा केन्द्र

83. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान में एक सिंचाई गवेषणा केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या इस केन्द्र के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है और यदि हां, तो उसके लिये कितना मुआवजा दिया गया ?

1467 (Ai) LSD—5.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) (1) पांच प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों में, जिनमें राजस्थान की चम्बल परियोजना भी शामिल है, सिंचाई गवेषणा केन्द्रों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति के लिए स्वीकार की गई है जिसके लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। ये केन्द्र क्षेत्र प्रयोग का कार्य करेंगे और साथ ही सिंचाई के अनुकूलतम उपयोग के विषय में मूलभूत अध्ययन शुरू करेंगे। प्रस्ताव है कि मुख्य केन्द्रों की स्थापना पहले की जाये और तत्पश्चात् प्रत्येक मुख्य केन्द्र के लिए एक-एक उप-केन्द्र स्थापित किया जाय।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत एक सिंचाई गवेषणा केन्द्र की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने कोटा के पास एक स्थान चुना है।

(ग) इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लगभग 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। अभी यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस भूमि के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा।

दक्षिण एशिया यात्रा आयोग

84. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की एक बैठक 21 और 22 सितम्बर, 1964 को दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कौन कौन से देशों ने भाग लिया ; और

(ग) इस में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। दक्षिण एशिया यात्रा आयोग का सातवां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 21 और 22 सितम्बर, 1964 को हुआ था।

(ख) अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत और इकाफे से एक प्रेक्षक। श्रीलंका भी इसका सदस्य है परन्तु सम्मेलन में उपस्थित न हो सका।

(ग) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार विमर्ष किया गया वे नीचे दिये जाते हैं :—

21 और 22 सितम्बर, 1964 को दिल्ली में होने वाली दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की सातवीं बैठक के लिये कार्य-सूची

1. सचिव द्वारा प्रारंभिक भाषण

2. दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की छठी बैठक की कार्यवाही की परिपुष्टि।

3. विचार के लिये विषय :—

1. दक्षिण एशिया यात्रा आयोग क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का सर्वेक्षण

2. अमेरिका (यू० एस०) और यूरोपीय बाजार सवक्षण (श्रीलंका द्वारा सुझाव)

3. पर्यटक कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सुविधायें :

i. आई० यू० ओ० टी० ओ० परिपूरिक सहायता योजना के अन्तर्गत

2. कोलम्बो योजना और सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत

4. क्षेत्र के सदस्य देशों में वेष्टन (पैकेज) यात्रा संगठित करना (पाकिस्तान द्वारा सुझाव)

5. समस्त सदस्य देशों के पर्यटन साहित्य का संयुक्त वितरण और प्रदर्शन (पाकिस्तान द्वारा सुझाव) ; एक क्षेत्रीय अभिवृद्धि कार्यक्रम को स्वीकार करना (श्रीलंका द्वारा सुझाव)

6. अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन की रिपोर्ट पर प्रत्येक सदस्य देशों द्वारा कार्यवाही

7. समुद्रपार देशों में पर्यटन कार्यक्रम को बढ़ावा देना :

क—विज्ञापन एजेन्सियों की नियुक्ति द्वारा

ख—जनता संपर्क एजेन्सियों की नियुक्ति द्वारा

ग—पर्यटन कार्यालय खोल कर

घ—परिचय यात्राओं के लिये यात्रा ऐजेन्टों, यात्रा लेखकों और फोटोग्राफरों को आमंत्रित कर।

8. प्रत्येक देश द्वारा सीमा औपचारिकताओं में ढील देना या उन्हें सरल बनाना।

9. समस्त देशों की पर्यटन संस्थाओं में आंकड़े सेल खोलना।

10. शिकायतों पर विचार करने तथा पर्यटन की उन्नति से संबंधित निर्णय लेने के लिये समस्त देशों की अपनी अपनी सरकारों के ढांचों के अन्तर्गत उच्चतम अधिकारियों की उच्चस्तरीय समन्वय समितियां स्थापित करना।

11. यात्रा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की सही दशा में उन्नत करने के लिये उन्हें विनियमित करने के लिये कानून बनाना।

12. प्रादेशिक होटल–क्षमता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन।

13. आंतरिक परिवहन सेवायें।

14. दक्षिण एशिया यात्रा आयोग को वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करना।

15. आई० यू० ओ० टी० ओ० कार्यकारणी समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव।

6. तकनीकी आयोग के लिये नामांकन।

7. 1962–64 का लेखा-विवरण।

8. दक्षिण एशिया यात्रा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव।

9. आगामी बैठक की तारीख व स्थान।

10. कोई अन्य विषय।

जहाज यात्रियों पर कल्याण कर

85. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गुलशन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री जहाजों के यात्रियों पर कल्याण कर लगाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस से एक साल में कितनी आय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 261 के अनुसार भारत में किसी स्थान या बन्दरगाह से छूटने वाले या जाने वाले डेक्यात्री जहाजों द्वारा ले जाये जाने वाले समुद्रपार जाने वाले यात्रियों पर यात्री कल्याण कर लगाने का विचार है।

(ख) यात्री कल्याण कर निम्न मार्गों पर लगाया जायेगा जहां अभी डेकयात्री जहाज चल रहे हैं :—

1. भारत-पाकिस्तान
2. भारत-पर्शियन गल्फ
3. भारत-पूर्व अफ्रीका
*4. भारत-लालसागस के बन्दरगाह

*(जब डेक यात्रियों को लेजाने के लिये मगललायन्स तीर्थ यात्री जहाजों को प्रयुक्त किया जाता है)

5. भारत-मलाया

२—लगाई जाने वाली प्रस्तावित दरें यह हैं:—

यात्रियों की श्रेणी	दरें
(क) प्रत्येक डेक यात्री के लिये	१ रु०
(ख) प्रत्येक सैलून/केबिन श्रेणी के लिये	२रु०
(ग) उस बालक के लिये जिसका आधा टिकट लागू है	श्रेणी (क) या श्रेणी (ख) के लिये निर्देशित दरों का आधा

३—इस से जो पूंजी जमा होगी उसे डेक यात्रियों की सहायता और सुविधा की व्यवस्था करने में लगाने का विचार है, जैसे रैस्ट हाउस, डाक्टरी सहायता और जरूरतमन्द तथा दुखी यात्रियों को आर्थिक सहायता।

(ग) १,००,००० रुपये।

Agricultural Farms

86. **Shri Surendranath Dwivedy:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri D. D. Mantri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned some schemes for agricultural farms and forest exploitation